FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम बायतु

भाखुसिंह छतरवाल वगैरा बनाम नारणाराम

किस्म मुकदमा धारा 88,188 Rt Act नं 95/2022 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/05/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188 Rt Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 09/05/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	[signature] Jogaram
09/05/2022	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा इकबाली जवाबदावा पेश किया गया व वादीगण द्वारा वाद को स्वीकार किया गया, वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं pw-1, pw-2 व स्वतंत्र गवाह pw-3 के शपथ-पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं DW-1 का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, पत्रावली	अंगूठा नारणाराम खेताराम

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया है, बाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली मिसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

सहायक कलक्टर न्यायालय

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 95/2022

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. बाबुसिंह धतरवाल पुत्र नारणाराम 2. जोगाराम पुत्र नारणाराम जाति–जाट, निवासी– बेनियालों की ढाणी, नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. नारणाराम पुत्र उदाराम जाति–जाट, निवासी– बेनियालों की ढाणी, नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 2. आरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा, बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री नरपत पूनड़ वकील प्रतिवादीगण

–: निर्णय :– **दिनांक : 09.05.2022**

वादीगण का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक की भूमि मौजा बेनियालों की ढाणी पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 1152, 1156 रकबा क्रमशः 1.2378, 14.4973 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 , पूर्वज उदाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बटंवारा किया हुआ है तथा वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवाड़ा अनुसार काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है, जिस हेतु वादी द्वारा यह घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब जरिये अधिवक्ता लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की गयी, वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य के रूप में स्वयं बाबुसिंह धतरवाल पुत्र नारणाराम व जोगाराम पुत्र नारणाराम के शपथ पत्र PW 1 व PW 2 तथा स्वतंत्र गवाह के रूप में केशाराम पुत्र आईदानराम का शपथ पत्र PW 3 पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 व उनके अधिवक्ता को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 उनके पूर्वज उदाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 के हिस्से के साथ वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा बेनियालों की ढाणी पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 1152, 1156 रकबा क्रमशः 1.2378, 14.4973 हैक्टेयर की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(जगदीश सिंह आशिया)
जिला बाड़मेर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(जगदीश सिंह आशिया)
जिला बाड़मेर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण

1. बाबुसिंह धतरवाल पुत्र नारणाराम,
2. जोगाराम पुत्र नारणाराम,

जाति–जाट, निवासी– बेनियालों की ढाणी, नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नारणाराम पुत्र उदाराम जाति–जाट, निवासी– बेनियालों की ढाणी, नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
2. आरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा, बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या– 95/2022. **निर्णय दिनांक :– 09.05.2022**

वादीगण वकील श्री खेताराम व प्रतिवादी वकील नरपत पूनड़ व प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.05.2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बनियालों की ढाणी पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1152, 1156 रकबा 1.2378, 14.4973 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)

जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	